न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी— श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 251 / 2022

प्रार्थीगण	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
1. धर्मीदेवी पुत्री गोधूराम पत्नि निम्बाराम जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी खारा, खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड हाल समदड़ों का तला तह सिणधरी लाडमेर 2. जमना कुमारी पुत्री गोधूराम पत्नि मूलाराम 25 वर्ष जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर	1. गोधूराम पुत्र टीकमाराम उम्र 82 वर्ष जाति जाट निवासी समदड़ों का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 2. खेमीदेवी पुत्री गोधूराम पत्नि वीराराम उम्र 35 वर्ष निवासी कोठाला तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर 3. आईदान पुत्र टीकमाराम 4. पेमाराम पुत्र टीकमाराम 5. रामाराम पुत्र टीकमाराम 6. लच्छाराम पुत्र टीकमाराम 7. शेरू पत्नि टीकमाराम जाट निवासी समदड़ों का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 8. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू 9. तहसीलदार साहब, सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 09 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 16.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीनीगण ने श्रीमानजी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार [illegible] गण को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी[illegible] व पुश्तैनी खातेदारी एवं स्वामित्व, कब्जा काश्त की खेत मौजा समदड़ों [illegible] पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा नम्बर 977 रकबा 21.3576 हेक्टयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1060 रकबा 19.4565 हेक्टयर में स्थित है जो भूमि प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के खातेदारी की थी जिस कारण वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के नाम जारी हुआ था तथा प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों रामा, लच्छा, गोधू, पेमा, आईदान पत्नि शेरूदेवी के नाम दर्ज हुए, इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

... [illegible] टीकमाराम से प्राप्त हुई थी। जिससे वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारो का है। वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 2 के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके थे, जिससे प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा में 1/4–1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/24–1/24 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनीगण का नाम अंकित नहीं है तथा समस्त 1/6 हिस्सा की भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसका विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि खसरा नम्बर 977 व 976 में अपने विधिक 1/24 हिस्से से अधिक प्रार्थीनीगण के हिस्से सहित भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ओर अजनबी व्यक्तियों को भूमि बेचान करने पर प्रयासरत है जिस संबंध में प्रार्थीनीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही प्रार्थीनीगण को कोई जानकारी दी गई, जो बेचान प्रार्थीनीगण के लिये 1/24–1/24 हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीनीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा प्रार्थीनीगण स्व रामाराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये था। हिन्दू विधि अनुसार सहदायिक पुत्री न केवल अपने अधिकारों की घोषणा करा सकती है अपितु पैतृक सम्पति जो उसके पिता के हाथ में है उसे विभाजन के जरिये पृथक भी करा सकता है हिन्दू उतराधिकार विधि की धारा 6 में प्रावधान है तथा इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(1) राजस्व 6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतकसम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों ही जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोंनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज, काश्त.अधि. की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त में अपने विधिक हिस्से से अ धिक भूमि का बैचान अजनबी केता को किया गया है, जो दौराने दावा हुए बैचान निष्प्रभावी एवं शून्य है। अवैध बेचान से प्रार्थीनीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीनी के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीनी को भारी अपूरणीय क्षति होगी। समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें कि वे [illegible] आराजी मौजा समदडों की तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला [illegible] खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा नम्बर 977 रकबा 21.3576 हेक्टयर तथा मौजा [illegible]लियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1060 रकबा 19.456[illegible] हेक्टयर में प्रार्थीनीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील प्राथीगणं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं स्वामित्व, कब्जा काश्त का खेत मौजा समदडों की तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा नम्बर 977 रकबा 21.3576 हेक्टयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1060 रकबा 19.4565 हेक्टयर में स्थित है जो भूमि प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के खातेदारी की थी जिस कारण वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के नाम जारी हुआ था तथा प्रार्थीनीगण के दादा टीकमाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों रामा, लच्छा, गोधू, पेमा, आईदान पत्नि शेरूदेवी के नाम दर्ज हुए, इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता टीकमाराम से प्राप्त हुई थी। जिससे वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारो का है। वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 2 के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके थे, जिससे प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा में 1/4–1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/24–1/24 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनीगण का नाम अंकित नहीं है तथा समस्त 1/6 हिस्सा की भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसका विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि खसरा नम्बर 977 व 976 में अपने विधिक 1/24 हिस्से से अधिक प्रार्थीनीगण के हिस्से सहित भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया तथा अब विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ओर अजनबी व्यक्तियों को भूमि बेचान कर दी गई है, जिस संबंध में प्रार्थीनीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही प्रार्थीनीगण को कोई जानकारी दी गई, जो बेचान प्रार्थीनीगण के लिये 1/24–1/24 हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीनीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल [illegible] कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के आगे से आगे बैचान [illegible] स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढ़ती [illegible] पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को [illegible]रण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा समदडों की तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा

नम्बर 977 रकबा 21.3576 हेक्टयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1060 रकबा 19.4565 हेक्टयर भूमी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested